

अपर समाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा

MWA No - 01 / 2011-12

चन्द्रदेव मोदी

बनाम

श्रीकान्त मंडल वगै०

01/03/23

-: आदेश :-

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सुना एवं दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित न्यूनतम मजदूरी वाद सं०-13/2006 श्री निवास मांझी बनाम चन्द्र देव मोदी से संबंधित मामला में दिनांक-26.04.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया। विषयगत केस में पक्षकारों को नोटिश निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पोडैयाहाट एवं सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख किये हैं कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय का न्यूनतम मजदूरी वाद संख्या-13/2006 में दिनांक-26.04.2007 को पारित आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत है। उनका आगे कथन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 प्रावधान समय सीमा के अंदर अपील दाखिल करना था जबकि यह अपील पूर्णतः कालवाधित है जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा श्रमिकों का बकाया मजदूरी भुगतान के साथ-साथ क्षतिपूर्ति राशि को बरकरार रखते हुए वर्तमान अपीलवाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत विषयगत वाद में निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन के उपरांत पाता हूँ कि वादक्रम में आवेदक कभी-कभार न्यायालय में उपस्थित हुए हैं परन्तु तत्पश्चात् आवेदक लगातार अनुपस्थित रहे। वादक्रम में दिनांक-09.04.2014 को उपस्थित होने के उपरांत फिर कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत किया गया परन्तु आवेदक अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा अंतिम मौका प्रदान करते हुए आवेदक को पुनः नोटिश निर्गत किया गया, परन्तु आवेदक न्यायालय में फिर कभी उपस्थित नहीं हुए। अतः विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का न्यूनतम मजदूरी वाद सं०-13/2006 में दिनांक-26.04.2007 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए आवेदक के द्वारा विषयगत वाद में लगातार अनुपस्थित रहने तथा कसे में किसी तरह का कोई अभिरुची नहीं लिये जाने के कारण वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अपर समाहर्ता,  
गोड्डा।

अपर समाहर्ता,  
गोड्डा।